संख्या:21/2021/571ई-2/तेरह-2021-370/1999

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02,मार्च, 2021

विषय: मे. सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 306 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 450 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-81/दो-प्रा.डी.-21/मंसूरपुर आसवनी, दिनांक 03-02-2021 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-02-2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-515ई-2/तेरह-2021-370/1999, दिनांक 23-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स सर शादीलाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मन्सूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 875 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 306 लाख लीटर से बढ़ाकर 450 लाख लीटर वार्षिक अर्थात अधिष्ठापित क्षमता का 54.55 प्रतिशत पेय मदिरा का निर्माण एवं विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जायेगा। साथ ही साथ इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in